न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :—

रिद्धकंवर पत्नी भीकमसिंह राठौड़
1/1 शिम्भुसिंह पुत्र भीकमसिंह
1/2 हनुमानसिंह पुत्र भीकमसिंह
1/3 रघुवीरसिंह पुत्र भीकमसिंह
1/4 प्रष्पेन्द्रसिंह पुत्र भीकमसिंह
1/5 बिशनकंवर पुत्री श्यामसिंह
1/6 कैलाशकंवर पत्नी श्यामसिंह
1/7 किशोरसिंह पुत्र श्यामसिंह
1/8 ज्योतिकंवर पुत्री श्यामसिंह
1/9 जितेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. सायरसिंह पुत्र ग्यारसीलाल रा.राजपूत निवासी श्यामगढ़ तह. नावां
2. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :— खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :— श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादीगण

मुकदमां नम्बर :—102/2017

निर्णय दिनांक :— 17.07.2019

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम श्यामगढ़ के गत खसरा नम्बर 141 रकबा 4—00 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 671, 672 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि स्थित हैं गत खसरा नम्बर 141 की भूमि के तत्कालिन खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र सुखदेव जाति दरोगा निवासी श्यामगढ़ ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1990 क्रम संख्या 321/90 के द्वारा वादी को तत्कालिन बाजार भाव से राशि रोकड़ी प्राप्त कर बैचान कर दिया था। उक्त भूमि पर खरीद के दिन से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उस समय खातेदार ग्यारसीलाल का स्वर्गवास हो जाने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान भंवरीदेवी पत्नी ग्यारसीलाल, सायरसिंह, दीपसिंह पि. ग्यारसीलाल के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जबकि उससे पूर्व ही खातेदार ग्यारसीलाल ने वादी को उक्त भूमि का बैचान कर दिया था। वादी ने प्रतिवादी का नाम हटवाकर खातेदारी दर्ज करवाने की

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

कहने पर प्रतिवादी 1 द्वारा इंकार कर दिया जिससे बमुकाम श्यामगढ़ वाद पैदा हुआ है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 671, 672 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 का सम्मन रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाऐ जाने बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के बावजूद बार बार अवाज लगाऐ जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं प्रतिवादी 2 राजहित निहित नहीं होने से जवाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जवाब बन्द किया गया। वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं कर वाद में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निर्णय करने का निवेदन करने पर वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नम्बर 671,672 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि भंवरीदेवी, पत्नी ग्यारसीलाल, सायरसिंह, दीपसिंह पि. ग्यारसीलाल कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं, नामान्तकरण संख्या 214 दिनांक 05.05.2015 के द्वारा विरासत व हकत्याग से भंवरीदेवी पत्नी ग्यारसीलाल, सायरसिंह, दीपसिंह पि. ग्यारसीलाल कौम रावणा राजपूत के स्थान पर खातेदारी सायरसिंह पुत्र ग्यारसीलाल जाति रावणा राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हैं वादी ने सेटलमेन्ट विभाग से जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किया हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 671, 672 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि गत खसरा नम्बर 141 बनाऐ जाना अंकित हैं। वादी ने वाद में मूल बैचान दस्तावेज पेश किया हैं जिसके

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अनुसार ग्राम श्यामगढ़ के गत खसरा नम्बर 141 रकबा 4–00 बीघा भूमि दिनांक 16.05.1990 को वादीनी रिद्धकंवर को 8,800/– रूपये प्रतिफल प्राप्त कर बैचान किया जाना अंकित हैं उक्त बैचान का राजस्व रिकार्ड में अमल होने से पूर्व ही तत्कालिन खातेदार ग्यारसीलाल फौत हो जाने से उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया। बैचान व रिकार्ड का मिलान नहीं होने से उक्त बैचान दस्तावेज का अमल आदिनांक तक नहीं हुआ हैं। वर्तमान में वादीनी रिद्धकंवर का स्वर्गवास हो चुका हैं जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र वादीगण द्वारा पेश किया गया हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि वादीगण की माता रिद्धकंवर द्वारा उक्त विवादित आराजीयत को रजिस्ट्रर्ड बैचान से क्रय किया हैं व प्रतिफल की राशि प्रतिवादी के पिता को अदा की हैं उक्त बैचान दस्तावेज विधिवत रूप से पंजीयन सुदा दस्तावेज हैं, तथा प्रतिवादी ने बावजूद विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित रहा हैं किसी प्रकार का कोई उज्र पेश नहीं किया हैं। जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम श्यामगढ के खसरा नम्बर 671, 672 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादी 1/2 से 1/4 व 1/5 लगायत 1/9 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)